

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/9367

जयपुर, दिनांक: 12.12.2014

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
कलक्टर (पंचायत),
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 - निर्वाचक नामावलियों के संबंध में।
संदर्भ:- आयोग के पत्रांक 9323 दिनांक 11.12.2014

महोदय,

आयोग की जानकारी में आया है कि बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, नागौर एवं राजसमन्द के अतिरिक्त कुछ अन्य जिलों द्वारा आयोग के पूर्व पत्रांक 8930 दिनांक 27.11.2014 द्वारा मतदाता सूचियों के प्रकाशन का जो कार्यक्रम जारी किया था, के अनुसार कुछ पंचायतों/पंचायत समितियों की मतदाता सूचियों का प्रकाशन दिनांक 29.11.2014 को नहीं कराया है।

संदर्भित पत्र, जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की गई है, द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूचियों के प्रकाशन का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके अनुसार मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 13.12.2014 को किया जाना है।

अतः आपके जिले में जिन पंचायतों/पंचायत समितियों की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 29.11.2014 को नहीं करवाया गया है। उनकी मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन संदर्भित पत्र के दिशा निर्देशानुसार दिनांक 13.12.2014 को करवाकर इसकी सूचना आयोग को ई-मेल से भिजवावें।

उक्त मतदाता सूचियाँ अर्हता तिथि 1.1.2014 के अनुसार तैयार की जानी है।


(सत्यप्रकाश बंसवाला)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014/9368-9373

दिनांक: 12.12.2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज0, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राजस्थान।
3. आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव/सहायक, सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
5. संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
6. कम्प्यूटर शाखा को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने तथा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने हेतु।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव